

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)

एफ: 2(3)ग्रावि / गुप-1 / 2006

जयपुर, दिनांक 24.2.15

—:आदेश:—

संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक प 14(2)ज.स. / 14(3) दिनांक 07.08.2014 एवं श्रीमति निशा चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), झुन्झुनू के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2015 के अनुसरण में श्रीमति चौधरी को इस विभाग से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

32/24/215
(उज्ज्वल राठोड़)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को उनके आदेश क्रमांक प 14(2)ज.स. / 14(3) दिनांक 07.08.2014 के क्रम में।
4. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि श्रीमति चौधरी का कार्यभार किसी अन्य अधिकारी को दिलवाकर इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्रीमति निशा चौधरी अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), झुन्झुनू।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

32/24/215
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)